केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com के लिये विज्ञापन बुक कराये। विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 274 बुधवार 29 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

कुआनों नदी में मिला ग्रामीण का शव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मंगलवार को मूड़घाट स्थित कुआनों नदी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान मुरलीजोत निवासी करीब 50 वर्षीय गंगाराम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, गंगाराम सोमवार सुबह लगभग आठ बजे घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी को लेकर चिंता व्यक्त की थी। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे स्थानीय लोगों ने मूड़घाट के पास कुआनों नदी में एक शव उतराता देखा, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई।

कोतवाली पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। पहचान के बाद गंगाराम के परिजन भी मौके पर पहुंचे। उनकी पत्नी मालती ने बताया कि गंगाराम मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और पिछले छह महीने से उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि गंगाराम घर से निकलते समय कहीं जाने के बारे में बताकर नहीं गए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली मोतीचंद ने पुष्टि की कि शव की पहचान कर ली गई है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस इस मामले में सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर में साइकिल सवार की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। पड़िया चौराहे के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। यह घटना सुबह करीब 6 बजे हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के भादी खुर्द निवासी 44 वर्षीय अमर नाथ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अमर नाथ सुबह साइकिल से कहीं जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

ग्राम प्रधान का निधन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रुधौली विकासखंड के डडवा तिवारी ग्राम पंचायत की प्रधान आरती देवी का सोमवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन पर क्षेत्र और प्रधान संगठन में शोक व्यक्त किया गया। आरती देवी की मृत्यु की खबर मिलते ही अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह, खंड विकास अधिकारी योगेंद्र राम त्रिपाठी और एडीओ पंचायत रमेश चंद्र यादव सहित कई प्रमुख लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। शोक व्यक्त करने वालों में विजय यादव, संतोष यादव, सोनू, मिश्रा, विवेक चौधरी, वीरू चौधरी, मनीष सिंह, अमीर हम्जा, अब्दुल रज्जाक और राजेश कुमार समेत कई अन्य प्रधान भी शामिल थे।

पीएम मोदी ने काशी को दिया 6332 करोड़ की सौगात

वाराणसी(आभा)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। खुली जीप में सवार होकर महिला जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। पीएम हाथ हिलाते और लोगों का अभिवादन करते मंच तक गए। अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी में की उन्होंने कहा, हम काशी की माई–बहिन के प्रणाम करत हई। प्रधानमंत्री ने कहा भारत को विकसित बनाने का काम अनवरत चल रहा है। आज की मजबूत स्तंभ नारी शक्ति है। आज एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं।

उन्होने कहा कि देश के पीएम के तौर पर, काशी के सांसद के तौर पर देश के हित के लिए बड़े लक्ष्य के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये लक्ष्य महिला आरक्षण को लागू करना। कुछ दिनों पहले सपा कांग्रेस की वजह से हमारा प्रयास सफल नहीं हो पाया। मै आपको फिर से भरोसा देता हूं। आपका आरक्षण लागू हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। घर में महिला के सशक्त होने से पूरे परिवार को ताकत मिलती है। देश मजबूत होता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि मै जब 25 साल पहले गुजरात में सीएम बना था तो वहां ऐसी ६ ाारणाओं को तोड़ने का काम किया। वहां दो योजनाएं शुरू की। पहली स्कूल के लिए, दूसरी और उनकी फीस की मदद के लिए। हमारी नीतियों में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आपने सेवा का मौका दिया तो 12 करोड़ शैचालय बने।इससे पहले प्रधानमंत्री ने काशी को 6332 करोड़ की सौगात दी। साथ ही 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें अयोध्या–मुंबई और बनारस–पुणे के बीच चलेंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की संसद, देश की विधानसभाओं में ~~महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण~~ मिले। उसे रोकने के लिए सपा, कांग्रेस ने कुत्सित प्रयास किया है। आधी आबादी के अंदर आक्रोश झलकता दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विपक्ष के नकारात्मक रवैये के खिलाफ हमें उनका आक्रोश दिख रहा है। आधी आबादी पूरी मजबूती के साथ पीएम के साथ खड़ी है। काशी ने लंबी दूरी तय की है। काशी में 35 हजार करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतरी हैं। 20 हजार की योजनाएं चल रहीं हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन काशी आए। इस दौरान उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने लखपति दीदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया।

चुनाव न होने पर बढ़ाएंगे ब्लाक प्रमुख, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल- राजभर

लखनऊ (आभा)। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने पर प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ब्लॉक प्रमुखों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपकी भावनाओं की कद्र होगी और हम तो खुद इसके समर्थक है।

राजधानी स्थित पंचायती राज निदेशालय के लोहिया सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोर्ट चुनाव कराने का आदेश देती है तो हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। वहीं चुनाव न होने की स्थिति में वह पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाकर उनका कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और इसे लागू कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड में पदेन पदाधिकारियों को ही प्रशासक बनाया गया है। ऐसे में मजबूत प्रस्ताव तैयार किया जाए।

नाबालिग बेटी से बलात्कारः पीडिता और मां ने डीआईजी से लगाया न्याय की गुहार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से बलात्कार, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का मामला सामने आया है। पीडिता की मां ने डीआईजी को पत्र देकर समूचे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुये दबंगों से अपनी नाबालिग बेटी और परिवार के रक्षा की गुहार लगाया है।

पीडिता और उसकी मां ने डीआईजी को दिये पत्र में कहा है कि सोनहा थाना क्षेत्र के पिरैला नरहरिया निवासी मो० आशिफ पुत्र शहाबुद्दीन ने उसकी नाबालिग बेटीके साथ बलात्कार करने के साथ ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब पीडिता ने उसके घर पर शिकायत किया तो उल्टे उसे ही मो० आशिफ के परिवार वालों ने जान से मार देने की ६ ामकियां दी। सोनहा थाने पर भी उसे न्याय नहीं मिला, उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया उसके बाद सोनहा पुलिस ने एक सादे कागज पर उससे अंगूठे का निशान लगवा लिया और रिपोर्ट नहीं लिखा। बहुत दबाव के बाद सोनहा पुलिस ने मनचाहे ढंग से मुकदमा दर्ज किया। बलात्कार की शिकार नाबालिग बेटी की डाक्टरी तक नहीं कराया गया। पीडिता और उसकी मां ने डीआईजी को दिये पत्र में कहा है कि विपक्षी बहुत ताकतवर लोग है और पुलिस उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उसने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

मां की स्मृति में छात्रों में किया शैक्षणिक सामग्री का वितरण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मण्डल महासचिव एवं लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर प्रेम नन्दवंशी ने अपनी माता मुन्नीदेवी की पांचवीं पुण्य तिथि पर मंगलवार को हरैया विकास खण्ड क्षेत्र के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय महादेवा, मुइली, रतनपुर, पिपराकाजी, हड्डी और जूनियर विद्यालय महादेवा, औरातोंदा, मुसही, के छात्रों में कापी, पेन, शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। कहा कि उनकी माता मुन्नीदेवी निरक्षर थी किन्तु हमेशा चाहती थी कि किसी का बेटी, बेटा निरक्षर न रहे। इसी भावना को लेकर प्रतिवर्ष छात्रों में शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया जाता है।। शैक्षणिक सामग्री के वितरण में अमर बहादुर प्रजापति, ओंकार शर्मा, अखिलेश गौतम, शिम्पी, पिंकी, अमित, चन्द्र प्रकाश आदि ने सहयोग किया।

समय सीमा के भीतर पूरा करें विकास कार्य, लापरवाही बर्दाश्त नहीं– मण्डलायुक्त

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की समीक्षा आयुक्त सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण कराये। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, विभागीय अधिकारियों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पीएम सूर्यघर, मुख्यमंत्री आवास, फैमली आईडी, सेतु निगम, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, फार्मर रजिस्ट्री, गेहूं खरीद, भूसा खरीद,सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वच्छता मिशन, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित योजनाओं व परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने विशेष रूप से लंबित एवं धीमी गति से चल रहे कार्यों में तेजी लाने तथा जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आमजन से प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से मिल सके। उन्होने यह भी कहा कि हीटवेव से बचाव हेतु समस्त चिकित्सालयों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होने यह भी कहा कि प्राइवेट नर्सिंग होम में सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील अवस्था में रहें। उन्होने आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता से दूरभाष के माध्यम से बात करते हुए गुणवत्तापूर्ण आख्या अपलोड करें।

बैठक का संचालन संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने किया। बैठक में जिलाधिकारी बस्ती श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना, सिद्धार्थनगर शिवशरणप्पा जी. एन., संतकबीरनगर आलोक कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन मनोज कुमार तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, जयकेश त्रिपाठी, उप निदेशक पंचायत समरजीत यादव, सीएमओ सिद्धार्थनगर व संतकबीर नगर, डीपीआरओ धनश्याम सागर, डिप्टी सीएमओ डा. ए.के. चौधरी, उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप, भूमि संरक्षण अधिकारी डा. राजमंगल चौधरी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डा. ए.के. गुप्ता, एलडीएम आर.एन. मौर्य, वरिष्ठ सहायक सुहेल अहमद सहित मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ईरान की चुनौती-अमेरिका अब शर्तें थोपने की स्थिति में नहीं

तेहरान (आभा)। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को साफ–साफ संदेश दे दिया है कि वाशिंगटन अब स्वतंत्र देशों को अपनी शर्तें थोपने या निर्देश देने की स्थिति में नहीं रहा है। ईरानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रजा तलाई–निक ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने संबंधी तेहरान के नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, इसलिए उसे अब दूसरे देशों को क्या करना चाहिए, यह बताने का कोई अधिकार नहीं है।

सरकारी टीवी पर दिए बयान में रजा तलाई–निक ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका को अपनी 'अवैध और तर्कहीन मांगों' को छोड़ना चाहिए। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले यह भी कहा कि ईरान स्वतंत्र देशों, खासकर एससीओ सदस्यों के साथ अपनी रक्षात्मक सैन्य क्षमताएं साझा करने के लिए तैयार है। बता दें कि ईरान ने अमेरिका– इजरायल युद्ध शुरू होने के साथ ही विश्व के इस महत्वपूर्ण रणनीतिक जलमार्ग को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल–पुथल मच गई। अब युद्धविराम के बावजूद स्थायी शांति की दिशा में बातचीत बेनतीजा रही है।

बस्ती में पर्यटन विभाग द्वारा 901 लाख रूपये की 11 परियोजनाएं स्वीकृत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद के अंतर्गत आने वाली विभिन्न विधानसभाओं के लिए 901 लाख रूपये की 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएनडीएस को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए है कि समस्त कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करे। जिससे इसका फायदा श्रद्धालुओं को समय से मिल सके। इन परियोजनाओं में अधिकांश धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं सृजित करने तथा सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।

यह जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हरैया विधानसभा क्षेत्र में स्थित चतुर्भुजी मंदिर लोनिया का पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रूपये, महादेवा स्थित प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 65 लाख रूपये, रूधौली के विकास खण्ड भानपुर में बेडवा समय माता मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 78 लाख रूपये, महादेवा स्थित रामजानकी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 72 लाख रूपये, कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित बाबा भारीनाथ शिव स्थल के पर्यटन विकास के लिए 106 लाख रूपये तथा बस्ती सदर के बीएमसीटी मार्ग बस्ती कैम्पियरगंज स्थित कोडरा चौराहे पर शिव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 107 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि बस्ती सदर विधानसभा में भदेश्वरनाथ गांव में स्थित शिवधाम श्री बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 200 लाख रूपये, रूधौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुउद्देशीय सुविधाओं के लिए 44 लाख रूपये, महादेवा के ग्राम चंगेरवा गगिया कोहल में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 65 लाख रूपये, बस्ती सदर मुख्यालय स्थित कबीर आश्रम मूड़घाट में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 45 लाख रूपये तथा हरैया विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल श्री तपसीयंधाम आश्रम में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 44 लाख रूपय की धनराशि स्वीकृत की गई है।

महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू किये किये जाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

–भ्रम फैलाने की जगह महिला आरक्षण विधेयक लागू करे सरकार–लक्ष्मी यादव

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं ने महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को खण्ड विकास अधिकारी बहादुरपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजा। भीषणगर्मी के बीच महिलायें और कांग्रेस नेता प्रदर्शन करते हुये खण्ड विकास अधिकारी बहादुरपुर पहुंचे और कहा कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण विधेयक पर भ्रम फैलाकर राजनीति करने की जगह पहले से पास बिल तो लागू करे।

ज्ञापन देने के बाद महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु महिला आरक्षण बिल संसद में सितम्बर 2023 में पास हो चुका है। उसके बाद वर्तमान समय में आरक्षण बिल के नाम पर सरकार राजनीतिक ड्रामा करके जनता को भ्रमित करना चाहती है और अपने जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहती है। जनता अब इसे समझ चुकी है। महिलायें सरकार के झांसे में आने वाली नहीं है।

कांग्रेस नेता और आयोजक शास्त्री डीएन त्रिपाठी ने कहा कि जनता यह चाहती है कि पहले से पास महिला आरक्षण बिल लागू किया जाय, महिलाओं के साथ न्याय हो,अन्यथा महिलायें स्वयं सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जायेगी।

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को ज्ञापन देने के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव अनिल भारती, महिला कार्यकर्ता शिमला गौतम, सुनीता मंजू, गीता गुप्ता, आरती, कुतबुन निशा, सरोज, शकुंतला, रीना, पूनम, सलमा, राजमती, शाहजहां, चमेली के साथ ही सैकड़ों महिलाअयें शामिल रहीं।

बस्ती जनपद के स्थापना दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में: भूमि पूजन 30 को

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती जनपद के स्थापना दिवस पर आयोजित वशिष्ठ महोत्सव की तैयारियां अन्तिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 30 अप्रैल को प्रातः 07 बजे भूमि पूजन होगा। 03 मई को प्रातः जिला मुख्यालय स्थित सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं की साफ सफाई की जाएगी।

उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक एवं उत्तर प्रदेश हैंडबॉल संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राना दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि खिलाडियों, और कलाकारों के आवास एवं भोजन सहित सभी व्यवस्था कर ली गई है। जनपद एवं प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार सांस्कृतिक समारोह का हिस्सा होंगे। राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका खो खो चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। जनपदीय बालक बालिका हैंडबॉल, वालीबाल कबड्डी प्रतियोगिताओं के लिए 29 मई से 04 मई तक टीमें रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इसके लिए जिला क्रीड़ांगन में श्री प्रभाकर ओझा से मोबाइल नंबर 9565533001, विकास कुमार मोबाइल नंबर 9580574644 तथा रणधीर सिंह मोबाइल नंबर 7905671975 पर खिलाड़ी सम्पर्क कर सकेंगे। सभी विजेता, उपविजेता टीमों को ट्राफी के साथ नकद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। समुचित महिला, पुरुष पुलिस एवं चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए उच्चाधिकारियों को लिखित अनुरोध भेजे जा चुके हैं। श्री राना ने कहा स्टेडियम परिसर में खेलों के कुशल प्रबंधन के लिए व्यायाम शिक्षक भेजने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखा जा चुका है। रात्रिकालीन खेलों के सुचारू संचालन के लिए लिए निर्बाध विद्युत व्यवस्था की गई है। टीमें बनाकर जिम्मेदारियां बांटी गई हैं।

बैठक में क्रीड़ा भारती के सचिव राम सिंह, महर्षि तपोभूमि न्यास के राजेश त्रिपाठी, रणजीत सिंह, चंद्र मणि मिश्र, राकेश पाण्डेय , रणधीर सिंह, जितेंद्र कुमार सहित अनेक लोग मौजूद रहे जबकि कथक गुरु मास्टर शिव, रोटेरियन मयंक श्रीवास्तव वर्चुअल माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 29 अप्रैल 2026 बुधवार

सम्पादकीय

अमेरिकी सुरक्षा में सेंधमारी

अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में गोलीबारी की घटना ने दुनिया भर में सबके कान खड़े कर दिए हैं। यह वारदात ऐसे मौके पर हुई, जब यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी एवं प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि विश्व की महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपने ही देश के भीतर इस तरह की चूक कैसे हो सकती है?

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर आयोजन स्थल में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गया! गोलीबारी की वजह से पूरे परिसर में अफरा–तफरी मच गई और ट्रंप को उनकी पत्नी के साथ तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह घटना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी सबक है, जो मानते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा अभेद्य है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन यहां राष्ट्रपति की मौजूदगी से मामले की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी दो बार हमले हो चुके हैं, हालांकि यह बात अलग है कि उस दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। मार्च 2016 में लास वेगास में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी।

हिरासत में पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद जुलाई 2024 में चुनावी रैली में ट्रंप पर उस समय खतरनाक हमला हुआ था, जब वह मंच से भाषण दे रहे थे। मगर गनीमत रही कि हमलावर की ओर से चलाई गई गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। यह बात समझ में आती है कि इन दो घटनाओं के दौरान ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रपति होते हुए अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इस घटना की शुरुआती जांच में एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि हमलावर सोशल मीडिया पर ट्रंप विरोधी टिप्पणियां करता रहा है और वह उस होटल में कुछ दिन पहले ठहरा था, जहां यह समारोह आयोजित किया गया था। यानी उसने आयोजन स्थल को पहले ही अच्छी तरह जांच परख लिया था और उसके बाद सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम में घुसने की साजिश रची। यही नहीं खबरों के मुताबिक, हमलावर के परिवार ने उसकी मंशा को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहले सतर्क भी किया था, लेकिन स्पष्ट है कि इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया।

इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर यह कार्यक्रम व्हाइट हाउस में निर्माणाधीन सैन्य रूप से अत्यंत गोपनीय 'बालरूम' में हुआ होता, तो इस तरह की वारदात नहीं होती। अदालत ने इस निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मगर सवाल सिर्फ किसी एक सुरक्षित स्थान का नहीं है। राष्ट्रपति को दिनभर कई जगह कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लेना होता है। अमेरिका जैसे देश में राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा का घेरा दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन यहां भी अगर सुरक्षा में चूक हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा?

अप्रैल में रेकार्ड तोड़ गर्मी

हर वर्ष अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल तापमान के जो तेवर दिख रहे हैं, उससे यह साफ है कि मौसम में यह उतार–चढ़ाव सामान्य नहीं है। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू की वजह से जनजीवन अस्त–व्यस्त हो चुका है और कई शहरों में तापमान चालीस से बयालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। जिन दिनों लोग मई–जून की तेज गर्मी के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, उनका शरीर धीरे–धीरे अभ्यस्त हो रहा होता है, उसमें हालत यह है कि चिलचिलाती धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ रही है।

उसने जो पूर्वानुमान जारी किया, उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग–अलग हिस्सों में मिला–जुला मौसम बना रहेगा, जिसमें कहीं भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, तो कहीं थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू, उमस भरी गर्मी और गर्म रातों में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है।

मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार–चढ़ाव की वजहें भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती हैं। मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक ताप में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस गर्मी में अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर मई के उत्तरार्ध और जून में दर्ज किया जाता रहा है।

इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ और तूफानों में भी कमी देखी गई, वहीं पिछले अल–नीनो के प्रभाव की वजह से गर्मी में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगले दो–तीन दिनों में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव का अनुमान है, लेकिन जाहिर है, तापमान में व्यापक उथल–पुथल और लू की आशंकाओं के बीच तेज धूप में निकलने से बचने, पानी पीते रहने और अन्य स्तर पर सावधानी ही बचाव का बेहतर उपाय है।

बस्ती मण्डल मुख्यालय पर कब खुलेगा विश्वविद्यालय ?

—अखिल कुमार यादव—

यह सवाल केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि पूर्वांचल के लाखों युवाओं की आवाज है, एक ऐसी आवाज, जो वर्षों से सुनाई तो देती रही है, पर अब तक पूरी तरह सुनी नहीं गई। बस्ती, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का एक प्रमुख जनपद है, आज भी उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे के मामले में उस स्थान पर नहीं पहुंच पाया है, जिसका वह हकदार है। यह स्थिति तब और अधिक चिंताजनक हो जाती है, जब हम देखते हैं कि आसपास के जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षाकृत बेहतर प्रगति हुई है। बस्ती की भौगोलिक स्थिति इसे एक स्वाभाविक शैक्षिक केंद्र बनाती है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों से घिरा यह क्षेत्र लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का संभावित केंद्र हो सकता है। लेकिन विडंबना यह है कि यहां के विद्यार्थियों को आज भी स्नातकोत्तर और शोध स्तर की पढ़ाई के लिए गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, या फिर लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और दिल्ली जैसे शहरों की ओर जाना पड़ता है। यह पलायन केवल दूरी का मामला नहीं हैय यह अवसरों की असमानता का प्रतीक है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना आसान नहीं होता। किराया, भोजन, कोचिंग और अन्य खर्च मिलाकर उच्च शिक्षा एक महंगी प्रक्रिया बन जाती है। नतीजतन, अनेक प्रतिभाशाली छात्र अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यह केवल व्यक्तिगत हानि नहीं, बल्कि पूरे समाज की बौद्धिक क्षति है।

हालांकि, पूर्वांचल में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु के रूप में सामने आता है, जिसकी स्थापना सिद्धार्थनगर में हुई। इस विश्वविद्यालय ने यह साबित कर दिया कि यदि किसी अपेक्षाकृत पिछड़े जिले में भी उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाए, तो वह हजारों–लाखों छात्रों के लिए अवसरों के द्वार खोल सकता है। इस उदाहरण के बाद यह सवाल और भी प्रासंगिक हो जाता है कि बस्ती जैसे बड़े और केंद्रीय जनपद को अब तक इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है। इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू भी है। खासकर छात्राओं के लिए बाहर जाकर पढ़ाई करना कई बार संभव नहीं हो पाता। सुरक्षा, सामाजिक मान्यताएं और पारिवारिक सीमाएं उनके रास्ते में बाधा बनती हैं। यदि बस्ती में ही विश्वविद्यालय स्थापित हो जाए, तो यह हजारों छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और समाज में लैंगिक समानता को मजबूत कर सकता है।

बस्ती की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी इसे विश्वविद्यालय के लिए उपयुक्त बनाती है। इसके निकट स्थित श्रावस्ती प्राचीन काल में ज्ञान और बौद्धिक विमर्श का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह क्षेत्र आज भी उसी बौद्धिक परंपरा को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है, बशर्ते उसे उचित संसाधन और अवसर मिलें। नीतिगत दृष्टि से भी यह मांग पूरी तरह से उचित है। यशपाल समिति की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उच्च शिक्षा का विस्तार छोटे शहरों और जिलों तक किया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बहुविषयक विश्वविद्यालयों की स्थापना और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर जोर देती है। बस्ती में विश्वविद्यालय की स्थापना इन दोनों दृष्टिकोणों को जमीन पर उतारने का एक प्रभावी माध्यम हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से भी विश्वविद्यालय की स्थापना एक बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी भी क्षेत्र में विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं होता, बल्कि वह रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र बन जाता है। छात्रावास, पुस्तकालय, कोचिंग संस्थान, परिवहन सेवाएं, छोटे–बड़े व्यवसायकृये सभी विश्वविद्यालय के आसपास विकसित होते हैं और हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय बस्ती के लिए एक पंविकास इंजनष साबित हो सकता है।

साथ ही, बस्ती में स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं पर केंद्रित शोध को बढ़ावा दे सकता है। पूर्वांचल में बाढ़, कृषि संकट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और ग्रामीण विकास जैसी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान स्थानीय स्तर पर शोध और नवाचार के माध्यम से ही संभव है। विश्वविद्यालय इन समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि बस्ती एक प्रमुख जिला मुख्यालय व तीन जनपदों को मिलाकर कमिश्नरी हेडक्वार्टर होने के बावजूद अभी तक विश्वविद्यालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है, जबकि आसपास के जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यह स्थिति विकास की असमानता को दर्शाती है और इस बात की ओर संकेत करती है कि बस्ती को उसका उचित स्थान नहीं मिल पाया है। अब सवाल यह नहीं है कि बस्ती में विश्वविद्यालय की जरूरत है या नहींकृयह बात पूरी तरह स्पष्ट है। असली सवाल यह है कि यह जरूरत कब पूरी होगी? कब बस्ती के युवाओं को अपने ही जिले में उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा? कब उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर जाने की मजबूरी खत्म होगी?

इस सवाल का जवाब सरकार, नीति–निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों के पास है। लेकिन यह जवाब तभी सामने आएगा, जब समाज के सभी वर्ग इस मांग के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। यह केवल एक मांग नहीं, बल्कि बस्ती के भविष्य का सवाल है। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि बस्ती को विश्वविद्यालय स्थापना का उसका हक मिलना ही चाहिएकृऔर वह भी जल्द से जल्द। क्योंकि जब शिक्षा का अधिकार सबका है, तो अवसर भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए।

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम

—क्षमा शर्मा—

किसी जमाने में 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम' को उन लोगों को निंदा के रूप में सुनाया जाता था, जो कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो लगता है कि सरकारें ही इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। पिछले दिनों तमिलनाडु, केरल, असम, पुडुचेरी तथा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों को लेकर खासी गहमागहमी रही। बाकी राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में अब दूसरे चरण का मतदान बाकी है। हर दल अपनी–अपनी जीत के लिए उत्साहित है। बड़ी–बड़ी घोषणएं भी की जाती रही हैं कि अगर हम चुनाव में जीते, तो महिलाओं के खाते में हर माह, या हर साल इतने हजार ट्रांसफर करेंगे। युवाओं को इतना पैसा देंगे। किसानों का बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये देंगे, वो देंगे।

यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां का बाजार लगा रहा है। इस हाथ वोट दो, उस हाथ ये लो। यानी कि वोट की कीमत कैश या काइंड में मापी जा रही है। सत्तर के दशक में महिलाओं–पुरुषों को साड़ियां, धोतियां बांटकर, ट्रांजिस्टर देकर, वोट देने से पहले की रात नकदी देकर काम चला लिया जाता था, लेकिन अब हजारों रुपये भी कम पड़ जाते हैं। इस दल ने हमें यह दिया है, दूसरा दल अगर उससे ज्यादा दे रहा है, तो बस वोट उसी को। फिर मान लीजिए पिछले इलेक्शन में अगर इतना रुपया मिला था, इस बार भी उतने का ही वादा हो, तो क्या खास दिया। ज्यादा दो, तो कुछ बात बने। इस लालच को बढ़ाने में अधिकांश राजनीतिक दल बढ़–चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वे जानते हैं कि लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता आदि का कोई मतलब नहीं, लोगों को असली मतलब इस बात से होता है कि सरकार उन्हें मुफ्त में क्या दे रही है।

याद है हमें कि नब्बे के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब पूर्वी यूरोप के समाजवादी गुट में शामिल देश एक–एक करके टूट रहे थे, तो मशहूर मीडिया पर्सनेलिटी प्रणय राय ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नाउ देअर विल बी नो फ्री लंच। यानी कि अब मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। इन देशों के गिरने के पीछे यही कारण बताया जाता था कि यहां की आर्थिक स्थिति को वहां की सरकारों ने ही लोगों में मुफ्त सब कुछ पाने की आदत डालकर, तबाह कर दिया था। इसलिए ये समाजवादी होते हुए भी पूंजीवाद के सामने एक–एक करके धराशायी हो गए। हमारे यहां जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबने इन स्थितियों को देखा है। बैठकर खाने के मुकाबले परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये भी जानते ही हैं।

यों भी दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। हो सकता है जिसे दलों द्वारा मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, वह उसकी कीमत न चुका रहा हो, लेकिन कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, चाहे तरह–तरह के कर देकर देश की जनता चुकाए या सरकारें विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने कटोरा लेकर चले जाएं। मगर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण भी ब्याज समेत चुकाने ही पड़ते हैं, इन संस्थाओं की कठोर शर्तें भी माननी पड़ती हैं। वे भी देश की जनता के ही सिर होते हैं।

दरअसल, कोई भी सरकार तो कुछ कमाती नहीं है। वह तो लोगों से ही वसूलती है। यह बात अलग है कि अपने देश में जो टैक्स देते हैं, सरकारों की नजर में वे सोने की अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं। जितना चाहो निचोड़ो। आम तौर पर ये लोग मध्यवर्ग के होते हैं क्योंकि अमीर लोग तो सारी सुख, सुविधाओं, लाखों–करोड़ के मालिक होने के बावजूद, बेचारे अपना ऋण नहीं चुका पाते और सरकारें उन पर रहम करके माफ कर देती हैं। लेकिन मध्यवर्ग करदाता के लिए शायद ही किसी दल के पास कोई योजना हो। ये लोग अपनी मेहनत से पढ़–लिखकर नौकरियां प्राप्त करते हैं, ऋण लेकर घर बनाते हैं, शादी–ब्याह अपने खर्चे से करते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन कोई इनकी सुध नहीं लेता, क्योंकि मान लिया गया है कि यह तो सम्पन्न वर्ग है। इसे किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं। इसकी जेबों से पैसा निकालकर सरकारें वोट बटोरने के लिए लोकप्रियतावादी, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिज्म कहते हैं, का रास्ता अपनाती हैं। वोटर्स के लिए तरह–तरह की ऐसी मुफ्त की योजनाएं लाई जाती हैं, जिनसे सरकारी खजाना खाली होता जाता है। राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से परहेज नहीं करतीं।

हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि बहुत सारी राज्य सरकारों के खजाने खाली हैं। उन पर लाखों करोड़ का कर्ज है, कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं जैसा कि कुछ दिन पहले हमने हिमाचल प्रदेश में देखा था, लेकिन वोटर भगवान वोट दे दे, इसके लिए खजाना खाली होता रहे, तो क्या हुआ। लोग कहते हैं कि दलों का वश नहीं चलता वर्ना वे वोटर्स को सूरज, चांद और आसमान को भी मुफ्त में बांट दें।

पिछले साल बिहार के चुनाव से पहले अड़तीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। हालत यह हो गई थी कि वहां की सरकार के पास जरूरी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। एक अनुमान के अनुसार विभिन्न सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए जो मुफ्त की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी राशि एक लाख, अड़सठ हजार, चालीस करोड़ तक पहुंच सकती है। किसी जमाने में 'अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम' को उन लोगों को निंदा के रूप में सुनाया जाता था, जो कुछ नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब तो लगता है कि सरकारें ही इसके लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

केंद्र सरकार ने चाहे इस पर चिंता व्यक्त की हो, लेकिन सिर्फ चिंता से कुछ नहीं होता, क्योंकि दलों को चुनाव जीतने का यही आसान सा रास्ता लगता है। ऐसे में देश में कुछ न हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में धन के अभाव में रोड़े अटक जाएं, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सच तो यह है कि इन मुफ्त की रेवड़ियों की कीमत अंततः जनता को ही चुकानी पड़ती है। उच्चतम न्यायालय बार–बार इस बारे में अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर चुका है, मगर 'स्वार्थ–लागि करें सब प्रीती' के इस दौर में न नेता सुनते हैं, न जनता। नेताओं का स्वार्थ वोट और जनता का स्वार्थ मुफ्त में सब कुछ।

भारत–दक्षिण कोरिया सम्बन्धों के नये आयाम

—प्रियंका सौरभ—

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध आज के वैश्विक दौर में नई अहमियत प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय शांति के समर्थक हैं। एशिया के बदलते शक्ति संतुलन, चीन की बढ़ती आक्रामकता, आपूर्ति श्रृंखला संकट, यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व तनाव और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने भारत तथा दक्षिण कोरिया को एक–दूसरे के और करीब आने का अवसर दिया है। दोनों देशों के बीच वर्षों से मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन अब समय की मांग है कि इन्हें नई ऊर्जा, नई दिशा और व्यावहारिक सहयोग के साथ आगे बढ़ाया जाए।

भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध केवल आधुनिक कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार भी मजबूत हैं। प्राचीन समय से दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संपर्क की चर्चा मिलती है। कोरिया में अयोध्या की राजकुमारी सुरिरत्ना, जिन्हें वहां रानी ह्यो हवांग–ओक के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ता है। यह संबंध आज भी लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव का आधार है। इसी कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पर्यटन और जनसंपर्क की संभावनाएँ बहुत अधिक हैं।

राजनयिक स्तर पर भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 1973 में औपचारिक संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में लगातार प्रगति हुई है। वर्ष 2010 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया और बाद में इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों देश एक–दूसरे को दीर्घकालिक सहयोगी के रूप में देखते हैं। उच्च स्तरीय यात्राएँ, विदेश मंत्री स्तर की बैठकें, व्यापारिक संवाद और रक्षा वार्ताएँ इन संबंधों को लगातार मजबूत कर रही हैं।

आर्थिक क्षेत्र में दक्षिण कोरिया भारत के लिए एक महत्त्वपूर्ण साझेदार है। दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से उन्नत, औद्योगिक रूप से मजबूत और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जबकि भारत विशाल बाजार, युवा जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में बढ़ा है और लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुँच चुका है। हालांकि यह क्षमता की तुलना में अभी भी कम है। भारत का दक्षिण कोरिया के साथ व्यापार घाटा भी चिंता का विषय बना हुआ है।

दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनियाँ भारत में लंबे समय से निवेश कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मोबाइल निर्माण, स्टील, शिपबिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में कोरियाई कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया का निवेश अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "ग्रीन एनर्जी" जैसे अभियानों में कोरियाई तकनीक तथा पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसके बावजूद कुछ चुनौतियाँ भी हैं। वर्ष 2010 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी ब्न्। लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य व्यापार को गति देना था। लेकिन अपेक्षित परिणाम पूरी तरह सामने नहीं आए। गैर–टैरिफ बाधाएँ, गुणवत्ता मानकों से जुड़े नियम, जटिल नियामक प्रक्रियाएँ, लॉजिस्टिक समस्याएँ और बाजार पहुँच की कठिनाइयाँ व्यापार वृद्धि में रुकावट बनती रही हैं। भारत को अपने निर्यात में विविधता लानी होगी, जबकि दक्षिण कोरिया को भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने होंगे।

आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कंपनियाँ केवल चीन पर निर्भरता कम करना चाहती हैं और नए उत्पादन केंद्र खोज रही हैं। यह स्थिति भारत और दक्षिण कोरिया दोनों के लिए अवसर लेकर आई है। दक्षिण कोरियाई कंपनियाँ यदि भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन केंद्र स्थापित करती हैं, तो उन्हें विशाल बाजार, सस्ती श्रमशक्ति और रणनीतिक स्थिति का लाभ मिलेगा। वहीं भारत को तकनीक, रोजगार और निर्यात क्षमता में वृद्धि प्राप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण, ऑटोमोबाइल, रक्षा उत्पादन और जहाज निर्माण ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सहयोग तेजी से बढ़ सकता है।

रणनीतिक दृष्टि से भी दोनों देशों का सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भारत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, खुला और समावेशी व्यवस्था का समर्थन करता है। दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा का समर्थक है। चीन की आक्रामक नीतियाँ, समुद्री मार्गों पर दबाव और क्षेत्रीय तनाव ने कई देशों को नए साझेदार खोजने पर मजबूर किया है। भारत और दक्षिण कोरिया इस संदर्भ में स्वाभाविक सहयोगी बन सकते हैं।

हालाँकि दक्षिण कोरिया की सुरक्षा प्राथमिकताएँ कुछ अलग हैं। उसका प्रमुख ध्यान उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे और अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन पर केंद्रित रहता है। दूसरी ओर भारत की चिंताएँ चीन, हिंद महासागर, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी हैं। फिर भी दोनों देशों के हित कई क्षेत्रों में समान हैं। रक्षा उद्योग सहयोग, साइबर सुरक्षा, समुद्री निगरानी, आतंकवाद विरोधी प्रयास और नई सैन्य तकनीकों में संयुक्त कार्य किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र में दक्षिण कोरिया ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। उसके पास आधुनिक रक्षा उत्पादन क्षमता है। भारत यदि संयुक्त उत्पादन, तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान सहयोग पर जोर दे, तो दोनों देशों को लाभ हो सकता है। भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति और दक्षिण कोरिया की तकनीकी क्षमता मिलकर नई संभावनाएँ पैदा कर सकती हैं।तकनीक आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5ळ, 6ळ, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल नवाचार भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करेंगे। दक्षिण कोरिया इन क्षेत्रों में अग्रणी देशों में शामिल है, जबकि भारत डिजिटल प्रतिभा, सॉफ्टवेयर क्षमता और स्टार्टअप इकोसिस्टम के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पिता ने छह माह के दुधमुंहे बेटे को गला दबाकर मार डाला, फरार

संवाददाता–कुशीनगर। तरयासुजान थाना क्षेत्र के जवहीं नरेन्द्र गांव में पिता ने ही छह माह दूधमुहे बेटे का गला घोट दिया और फरार हो गया। भोर में सोकर उठी मां ने बेटे को मृत देख पति को फोन किया तो उसने गोरखपुर पहुंचने की जानकारी दी। मां की सूचना पर मौके पर पहुंची तरयासुजान पुलिस ने शव को कभी लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव जवहीं नरेन्द्र निवासी रेशमी खातून पुत्री नूरमुहम्मद की शादी 4 वर्ष पूर्व हरदोई जिले के नगर पालिका हरदोई निवासी सलमान पुत्र रजाक से हुई है।एक माह पूर्व रेशमी खातून अपने मायके चली आई। उसका छह माह का दुधमुंहा बेटा जीशान था। पत्नी बेटे के साथ पति भी हरदोई से जवही नरेंद्र गांव आ गया था। साथ रहता था। ग्रामीणों के अनुसार किसी बात को लेकर पति पत्नी में हमेशा कहासुनी होती रहती थी। बीती रात भी दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद सभी एक ही बिस्तर पर सो गए। मंगलवार की भोर में पत्नी उठी तो देखा कि पति बिस्तर से गायब था। बेटा बगल में मृत पड़ा हुआ था। गले पर कसे जाने का निशान था। वह चिल्लाने लगी। पति को फोन लगाया तो उसने गोरखपुर पहुंचने की जानकारी दी। पत्नी का आरोप है कि बच्चे की गला दबा कर हत्या की गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची तरयासुजान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।

रहस्यमयी हालात में पांच बकरियों की मौत, हत्या की आशंका

संवाददाता–देवरिया। जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के कौलाचक गांव में सोमवार रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पांच बकरियों की मौत हो गई, जबकि एक बकरी गंभीर रूप से घायल पाई गई। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। क्षेत्र के कौलाचक गांव निवासी बदरुन निशा,पत्नी यूनुस खान, की माली हालत ठीक नहीं है वह अपनी दो बेटियों के साथ बकरियां पालकर जीविका चलाती हैं। उनके पास कुल छह बकरियां थीं। सोमवार रात रोज की तरह उन्होंने सभी बकरियों को खिला–पिला कर पास के शेड में बांध दिया और बगल के कमरे में सोने चली गईं।मंगलवार सुबह जब वह बकरियों को खोलने पहुंचीं तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। पांच बकरियां खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी थीं, जबकि एक बकरी गंभीर रूप से घायल थी। यह भयावह दृश्य देखकर बदरुन निशा बेहोश हो गईं और रोने लगीं।घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को खबर दी गई। सूचना पर सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी मौके पर पहुंचे घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मृत बकरियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।पीड़िता ने अपने कुछ पाटीदारों और एक रिश्तेदार पर शक जताते हुए साजिश की आशंका व्यक्त की है। वहीं तरकुलवा थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

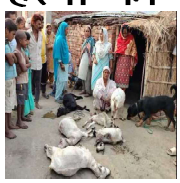

हीट स्ट्रोक से हुई थी गिद्धों की मौत

संवाददाता–महराजगंज। मधवलिया रेंज अंतर्गत परसामलिक थाना क्षेत्र के झिंगटी एसएसबी कैंप के पास मंगलवार की सुबह करीब दस बजे दो गिद्ध आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते हुए अचानक गिरकर मौत हो गई थी। वन विभाग द्वारा गठित डॉक्टरों की विशेष जांच टीम ने जांच के बाद स्पष्ट किया है कि इन गिद्धों की मौत हीट स्ट्रोक के कारण हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। डॉक्टरों की जांच में बताया गया कि अत्यधिक तापमान के कारण शरीर में लू लगने और पानी की कमी के चलते गिद्ध के शरीर का अंग काम करना बंद कर दिए थे। डॉक्टरों ने बताया कि पार 45 डिग्री के पार जाने से इन पक्षियों के शरीर में पानी की कमी हो गई थी, जिसके फलस्वरूप उनके फेफड़ों और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया होगा। वन क्षेत्राधिकारी अजीत भास्कर ने बताया कि जंगलों में पानी के स्रोतों को भरने और वन्यजीवों को गर्मी से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही रेंज के अन्य क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि गर्मी के प्रभाव से अन्य जीवों को सुरक्षित रखा जा सके।

झोलाछाप के इंजेक्शन से किशोरी की मौत, परिवार बदहवास

संवाददाता–महराजगंज। महराजगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के कटहरा खास टोला उसरहवा में झोलाछाप की लापरवाही से एक 16 वर्षीया किशोरी की मौत हो गई। आरोप है कि मामूली फोड़ा–फुंसी के इलाज के दौरान झोलाछाप ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके बाद किशोरी की हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार किशोरी के पैर में फोड़ा–फुंसी हो गया था। उसे दिखाने के लिए गांव के ही कथित डॉक्टर धर्मेंद्र साहनी के पास ले जाया गया। किशोरी के चाचा विनाचल साहनी का आरोप है कि डॉक्टर ने खुद को रजिस्टर्ड बताते हुए दो–तीन दिन में ठीक करने का दावा किया। मना करने के बावजूद उसने किशोरी को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही किशोरी के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गई। घटना के बाद परिजन ग्रामीणों की मदद से इलाज के लिए उसे लेकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में मृतका के चाचा ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।वहीं, इस मामले की शिकायत महराजगंज पुलिस के एक्स हैंडल पर भी की गई थी। इस पर पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

शुरू हुआ पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कार्य

संवाददाता–श्रावस्ती। जनपद के अति पिछड़े जमुनहा ब्लाक के ग्राम पंचायत हरदत्त नगर गिरंट में छात्र छात्राओं को तकनीकी शिक्षा डिग्री देने के बनवाया जा रहा राजकीय पालीटेक्निक कालेज उपेक्षा का शिकार था। वर्ष 2012 में काम शुरू कराया गया था और 2018 में काम बंद कर दिया गया था।

आखिर सरकार ने बजट जारी करके फिर से निर्माण कराना शुरू कर दिया है। राजकीय पालिटेक्निक कालेज हरदत्तनगर गिरंट के निर्माण के लिए शासन स्तर 16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे और काम शुरू कराया गया।

लेकिन निर्माण कार्य 2018 में यह कह कर रोक दिया गया कि बजट नहीं है। इसके चलते आठ साल तक काम बंद रहा और आधा अधूरा राजकीय पालिटेक्निक कालेज लोगों को मुंह चिढ़ा रहा था।

कार्यालय ग्राम सुकरौली चौधरी वि.खं. हर्रैया, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ई.ट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** के निविदा बाक्स में दिनांक 08–05–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 01–05–2026 से दिनांक 07–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सुकरौली चौधरी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रूo है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(रामधनी शर्मा) (रामजस)
प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत–**सुकरौली चौधरी** ग्राम पंचायत–**सुकरौली चौधरी**

कार्यालय ग्राम पिकौरा वि.खं. हर्रैया, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **पिकौरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/बीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ई.ट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुड़े सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **पिकौरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 08–05–2026 तक अपरान्ह 01:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 01–05–2026 से दिनांक 07–05–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **पिकौरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **पिकौरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **पिकौरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रूo है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सरिता देवी) (रामजस)
प्रधान सचिव
ग्राम पंचायत–**पिकौरा** ग्राम पंचायत–**पिकौरा**

पैसा ट्रांसफर करवाने वाले गिरोह का खुलासाः को किया गिरफ्तार, मोबाइल लूटकर ट्रांसफर

संवाददाता–गोंडा। जिले की नवाबगंज पुलिस ने आज मंगलवार को राहगीरों से लूटपाट कर उनके मोबाइल फोन से पैसे ट्रांसफर करवाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है। नवाबगंज थाने की पुलिस ने इस मामले में शामिल तीन आरोपियों अहमद रजा अंसारी, साहिबे आलम और अब्दुल बली अंसारी को गिरफ्तार किया है। इन्हें गोंडा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह घटना बीते 25 अप्रैल को हुई थी। आरोपियों ने चक शिवरहां, थाना नवाबगंज निवासी जमील अहमद के साथ दिनदहाड़े मोटरसाइकिल से झपट्टा मारकर उनका मोबाइल फोन लूट लिया था।

इसके बाद, उन्होंने जमील अहमद को रोककर उनके साथ मारपीट की और उसी मोबाइल से 55,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। पैसे ट्रांसफर करने के बाद वे मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित जमील अहमद ने नवाबगंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था।उन्होंने पुलिस को बताया कि 25 अप्रैल को दोपहर 1ः35 बजे जब वह जा रहे थे, तभी तीन पल्सर सवार व्यक्तियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया। जब उन्होंने पीछा किया, तो आरोपियों ने उनकी गाड़ी रुकवा ली और मारपीट कर उनके मोबाइल फोन से 55,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए। इस तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया था। नवाबगंज थाना अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि ये आरोपी राहगीरों से मोबाइल फोन लूटकर उनके ही फोन से अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवाते थे। इस पूरे मामले में अजय सिंह नामक एक और आरोपी का नाम सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नवाबगंज थाने की पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अजय सिंह के गिरफ्तार होने पर कई और हम खुलासे पूछताछ में हो सकते हैं जिसका प्रयास किया जा रहा है और पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर विस्तृत जांच कर रही है।

पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मोबाइल लूटकर ट्रांसफर कराए थे 55000 रुपए

डीएम ने गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया

संवाददाता–श्रावस्ती। गेहूं खरीद में तेजी लाने और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने विभिन्न क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और क्रय केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सभी क्रय केंद्रों पर पहुंच मार्ग, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था, छाया और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खरीद पंजिका, बोरों की उपलब्धता, ई–उपार्जन मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और नमी मापक यंत्र की भी जांच की। डीएम ने गेहूं खरीद में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी उपज सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें। साथ ही, जन सुविधा केंद्र अथवा ऑनलाइन माध्यम से समय रहते पंजीकरण कराएं, जिससे उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके।

श्रावस्ती जनपद को इस वर्ष 20,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य मिला है। इसके सापेक्ष अब तक लगभग 22 प्रतिशत खरीद ही हो पाई है। खरीद की अंतिम तिथि 15 जून तय की गई है। खरीद प्रतिशत बढ़ाने के लिए सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को लेखपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ केंद्रों पर परिवहन की समस्या सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए संबंधित एजेंसियों से लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है, ताकि गेहूं का समय पर उठान हो सके और क्रय केंद्रों पर जगह की कमी न हो।

इकौना तहसील परिसर से 56 कुर्सियां चोरी, 400 मीटर दूर झाड़ियों में मिलीं

संवाददाता–श्रावस्ती। श्रावस्ती जिले के इकौना तहसील परिसर में सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने अधिवक्ताओं के बेंच से 56 प्लास्टिक कुर्सियां चुरा लीं। मंगलवार की सुबह जब अधिवक्ता तहसील परिसर पहुंचे तो कुर्सियां गायब देख हड़कंप मच गया। तलाशी के बाद सभी कुर्सियां तहसील परिसर से करीब 400 मीटर दूर तालाब के बगल झाड़ियों के पास सभी 56 कुर्सियां पड़ी मिलीं।घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी इकौना पीयूष जायसवाल को प्रार्थना पत्र सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री राजेंद्र मिश्रा ने कहा कि तहसील परिसर में सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती रहती है, इसके बावजूद इस तरह की घटना का घटित होना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह महज कुर्सियों की चोरी का मामला नहीं है बल्कि तहसील परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।अधिवक्ताओं की मांग है कि तहसील परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गर्भवती विवाहित की संदिग्ध मौत, मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

संवाददाता–महराजगंज। पुरंदरपुर क्षेत्र के करमहवां बुजुर्ग में सोमवार की रात में एक विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी मिलते ही पुरंदरपुर पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के करमहवां निवासी विजय यादव की 22 वर्षीय पत्नी करिश्मा को सोमवार की रात में परिजन इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी ले आए। जहां पर चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद विवाहिता को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे मायका पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे तो अवाक रह गए।

विवाहिता के गले पर निशान थे। मायका पक्ष के लोगों ने अस्पताल पर हंगामा करना शुरू कर दिए। मृतका की मां मंजू ने आरोप लगाया कि करिश्मा की गला घोट कर हत्या किया गया है। उन्होंने बताया कि ससुराल के लोग शादी के बाद से ही दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। जिसको लेकर कई बार बात भी हुआ था। सोमवार को दिन में सास, ससुर, व ननद मिलकर मारे पीटे है। गंभीर हालत होने पर अस्पताल ले कर पहुंचे है। जहां पर उसकी मौत हो चुकी है। सूचना पाकर सीओ अनिरुद्ध कुमार व प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय व अन्य पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत का स्पष्ट जानकारी रिपोर्ट आने के बाद होगी।

थाना क्षेत्र के बरातगाढ़ा के छितौनिया निवासी रामजतन की बेटी करिश्मा की शादी पुरंदरपुर क्षेत्र के करमहवां निवासी विजय के साथ कोर्ट मैरिज से हुआ था। उसके बाद से दोनों के बीच कुछ दिन तक हालात सामान्य रहे। मृतका की मां ने बताया कि शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज व बाइक की मांग करने लगे। मायका के लोग दहेज देने से मना किए तो लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। मृतका की एक दो वर्ष की बेटी लाडो है। उसके बाद वह पांच माह की गर्भवती भी थी। मामले को लेकर कई बार समझा–बुझाकर मामला शांत कराया गया लेकिन ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने। आरोप है कि सोमवार को दिन में मारपीट के बाद रात में उसकी हत्या कर दिए। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। अस्पताल पर पुलिस मौके पर तैनात रही।

बुआ के घर शादी में गए मासूम की करंट से मौत

संवाददाता–महराजगंज। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अन्हया के रसूलपुर टोले में एक बड़ा हादसा हो गया। अपनी बुआ के घर शादी में आये एक नौ वर्षीय मासूम की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। पनियरा के कामता बुजुर्ग के रहने वाले इस मासूम को करंट लगने से बाद पहले परतावल सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए गोरखपुर लग गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है। परिजनों व रिश्तेदारों का रो–रोकर बुरा हाल हो गया है। हादसे के बाद घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे। ग्राम पंचायत कामता बुजुर्ग निवासी 9 वर्षीय आदित्य पुत्र आत्माराम मौर्य सोमवार को श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत अन्हया के रसूलपुर टोले स्थित अपनी फूफा रामप्रसाद मौर्य के घर शादी में गया था। परिजन शादी की तैयारियों में जुटे थे। अभी बारात भी नहीं आयी थी। इसी बीच आदित्य अन्य बच्चों के साथ घर के पास खड़ी ट्रॉली के पास खेल रहा था। खेलते समय वह पास में लगे जेनरेटर के तार के संपर्क में आ गया और करंट की चपेट में आकर बुरी तरह तड़पने लगा। हादसे के बाद मौके पर अफरा–तफरी मच गई। आनन–फानन में किसी तरह लोगों ने उसे करंट से अलग कर सीएचसी पहुंचाया। आदित्य कक्षा 4 का छात्र था। उसके पिता आत्माराम मौर्य राजस्थान में रहकर नौकरी करता है और दो महीने पहले ही वहां गया है। घटना की सूचना मिलते ही वह घर के लिए रवाना हो गया है। आदित्य अपने माता–पिता का इकलौता बेटा था। उसकी दो बहनें 11 वर्ष की सुनैना और 7 वर्ष की सरस्वती हैं। मां रीना देवी सहित पूरे परिवार का रो–रोकर बुरा हाल है। इस बाबत थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि घटना श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र की है। मौके पर पनियरा पुलिस भी पहुंची थी। पंचनामा भरकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विदेश में मृत युवक का शव बीस दिन बाद पंहुच घर

संवाददाता–देवरिया। जिले के सुरौली थाना क्षेत्र निवासी एक युवक एक साल पहले विदेश कमाने गया था। वहां विगत 7 अप्रैल को उसकी मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई थी। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक का शव मंगलवार की सुबह उसके घर पहुंचा। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार 20 दिनों से शव का इंतजार कर रहा था। सुरौली थाना क्षेत्र के बहोरवां निवासी रामकेवल राजभर के चार पुत्र बबलू, प्रमोद, भूषण व सुंदर हैं। तीसरे नंबर का पुत्र भूषण राजभर पलंवर मिस्त्री था। एक साल पहले भूषण पी बोर्ड कंपनी में प्लंबर के काम से अबूधाबी कमाने गया था।

भूषण का काम ठीक चल रहा था। परिवार के खर्च के लिए भी पैसा भेजता रहता था। विगत 7 अप्रैल को काम पर जाते समय भूषण की आबूधाबी में ही रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मौत की सूचना परिवार में आते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव मंगाने के लिए कागजी कार्रवाई में लग गए। उधर कंपनी ने कागजी कार्रवाई पूरा कर शव को बीस दिनों बाद सोमवार की रात लखनऊ एयरपोर्ट भेजा। परिजन भूषण के शव को लेकर मंगवार की सुबह घर लेकर पंहुचे। शव घर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। शव घर पर पंहुचते ही दरवाजे पर गांव वालों की भीड़ जुट गई। भूषण की पत्नी व मां शारदा देवी बार–बार बेहोश हो जा रही थी। पिता व भाइयों के चीत्कार से लोगों का कलेजा फट जा रहा था। परिजन शव का मंगलवार को बरहज घाट पर अंतिम संस्कार कर दिए।

छज्जा गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत, 5 घायल

संवाददाता–संतकबीरनगर। बेटी की शादी से पहले घर का छज्जा गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे में पांच लोग घायल हो गए। जिसमें कुछ मलबे के नीचे दब गए। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है घर में बेटी की बारात आनी थी। बारातियों के स्वागत के लिए घर में सजावट का कम चल रहा था। घर के बाहर कुछ लोग लाइटिंग में व्यस्त थे।

वहीं छज्जे के लिए परिवार के सदस्य शादी की रस्मों से जुड़ी तैयारियां कर रहें थे। इसी बीच अचानक मकान का जर्जर छज्जा भरभराकर लोगों पर गिर गया। इसकी चपेट में कई लोग आ गए। हादसे के बाद मौके पर चीख–पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उनका इलाज जारी है।

हादसे की सूचना पर खलीलाबाद कोतवाली प्रभारी जयप्रकाश दूबे मौके पर पहुंचे। सीओ खलीलाबाद प्रियम राज शेखर पांडेय ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिस घर में शहनाइयां बजनी थीं, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के उमरी खुर्द गांव का बताया जा रहा है।

उमरी खुर्द निवासी हरिश्चंद्र राजभर की बेटी की मंगलवार को शादी तय थी। घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रहीं थी। घर के बाहर कई लोग शादी की रस्म से जुड़ी तैयारियां कर रहें थे। सुबह करीब 8:30 बजे टेंट और लाइटिंग का काम चल रहा था। अचानक मकान का पुराना छज्जा भरभराकर गिर गया। मलबे की चपेट में आने से वहां मौजूद लोग दब गए। हादसे में कुसुम उर्फ राजमती (70) की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हादसे के बाद अफरा–तफरी मच गई। ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर मलबे को हटाकर घायलों को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही खलीलाबाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही राहत कार्यों का जायजा लिया। सीओ खलीलाबाद प्रियम राज शेखर पांडेय ने बताया कि जर्जर छज्जा गिरने के कारण दुर्घटना हुई है। जिसमें 70 वर्षीय कुसुम उर्फ राजमती की मौत हो गई है। पांच घायलों का इलाज जारी है। जिनमें दो टेंट कर्मी और तीन परिजन शामिल हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की हैं। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

दूल्हे को अनफिट बताकर शादी से किया इनकार, लौटा दी बारात

संवाददाता–संतकबीरनगर। दूल्हे को अनफिट बताकर दुल्हन ने बरमाला से पहले शादी तोड़ दी। सोमवार रात हुई इस घटना के बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। बारात पूरे धूमधाम से गांव पहुंची थी। स्वागत, द्वारपूजा और अन्य सभी रस्में खुशी–खुशी संपन्न हुईं। शादी समारोह में रिश्तेदार और ग्रामीण मौजूद थे, जिससे माहौल उत्सवपूर्ण था। हालांकि, जैसे ही बरमाला की रस्म शुरू हुई, दुल्हन ने दूल्हे को करीब से देखा और मंच पर ही शादी से इनकार कर दिया। उसके इस अचानक फैसले से दोनों पक्षों में खलबली मच गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जब दुल्हन अपने निर्णय पर अडिग रही, तो स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर शादी के लिए तैयार नहीं हुई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत और पंचायत का दौर चला। गांव के संभ्रांत लोगों ने भी मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के अनुसार, दुल्हन ने दूल्हे की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके कारण उसने यह निर्णय लिया। हालांकि, दोनों पक्षों ने इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया। अंततः शादी की सभी तैयारियां धरी रह गईं और बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल गई है, और लोग इसे लेकर तरह–तरह की बातें कर रहे हैं।

ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को नहीं ढहाया जाएगा, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

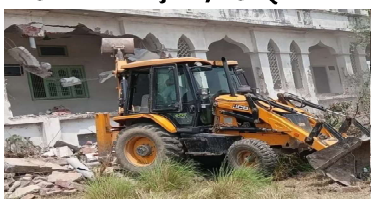

संवाददाता–संतकबीरनगर। खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर मोहल्ले में अवैध रूप से निर्मित ब्रिटिश मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई। रविवार सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल जेसीबी और पोकलैंड मशीनें हटा लीं। मोतीनगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या –154 में 640 वर्ग मीटर में मदरसा बना है। तीन मंजिला इमारत में 25 से 30 कमरे और करीब 50 पिलर बने हुए हैं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, मौलाना शमसुल हुदा खान ने मदरसे का निर्माण विदेशी फंडिंग के जरिए कराया था। उस पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विनियमित प्राधिकारी खलीलाबाद–मगहर/एसडीएम खलीलाबाद ने मानचित्र स्वीकृत न होने पर निर्माण को अवैध मानते हुए पहले 15 दिन का नोटिस जारी किया था और समयसीमा पूरी होने के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। इस पर मौलाना ने डीएम कोर्ट और कमिश्नर बस्ती कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की। गत 25 अप्रैल को कमिश्नर बस्ती ने मदरसा प्रबंधन की निगरानी याचिका को खारिज करते हुए एसडीएम खलीलाबाद के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रशासन ने रविवार को सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कराई। इसमें प्रशासन ने छह बुलडोजर और दो पोकलैंड मशीनें लगाई थीं। हालांकि, लंबी कार्रवाई के बावजूद केवल चहारदीवारी और लगभग 15 पिलरों को ही तोड़ा जा सका। इनको तोड़ने के दौरान करीब पांच बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन दगा दे गई। स्थानीय प्रशासन ने दूसरी मशीनें मंगवाकर कार्रवाई शुरू कराई। इसी बीच सोमवार को मौलाना के अधि वक्ता द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी। आदेश मिलते ही प्रशासन ने मौके पर चल रही कार्रवाई को बंद करा दिया। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के समादर के क्रम में ध्वस्तीकरण के कार्य को अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। आदेश पर बाद में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। खलीलाबाद के मोतीनगर मोहल्ले में चल रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान मदरसा भवन की असाधारण मजबूती ने अधिकारियों और तकनीकी टीम को भी चौंका दिया। किलेनुमा ढंग से निर्मित इस भवन को गिराना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। हालात यह रहे कि लगातार कार्रवाई के दौरान दो बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन तक खराब हो गई, जबकि कई बार मशीन चालकों को बदलना पड़ा। ६ वस्तीकरण के दौरान मशीनों से चिंगारियां निकलती रहीं और चालक पसीने से तर–बतर नजर आए।

निकली जन आक्रोश पदयात्रा: महिला वंदन अधिनियम पर सियासी रार, भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के भवानीगंज मंडल में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने 'महिला जन आक्रोश पदयात्रा' निकाली। यह पदयात्रा भवानीगंज चौराहे से शुरू होकर बाजार होते हुए दुर्गा मंदिर तक पहुंची। इस दौरान भवानीगंज बाजार में एक सभा का भी आयोजन किया गया।

पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के समर्थन में नारे लगाए। इस पदयात्रा का उद्देश्य मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने विपक्षी दलों द्वारा महिला आधिनियम का विरोध किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। सिंह ने जोर देकर कहा कि महिलाओं के अधिकारों के प्रति इस तरह की असंवेदनशीलता स्वीकार्य नहीं है।

चेयरमैन धर्मराज वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इनारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर अधिनियम का विरोध कर अपनी सोच उजागर करने का आरोप लगाया। वर्मा ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और विभिन्न योजनाओं से उन्हें सशक्त कर रही है। पदयात्रा में शामिल महिलाओं ने अधिनियम के समर्थन में आवाज उठाई और इसे जल्द लागू करने की मांग की।

इस कार्यक्रम में संयोजक संतोष पासवान, मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौधरी के साथ शीला, पुष्पा, उजाला, रीतू, रोशनी, नंदनी, किसलावती, पूनम, श्रीमती, लीलावती, अंजनी, लक्ष्मी, प्रमोद, विजय मिश्रा, पिंटू पटेल, धर्मेंद्र गौतम, गौतम सोनी और राहुल सोनी सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान उप जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0– /2025
धारा 35
सावित्री देवी
बनाम
सरकार उ0प्र0 आदि
1. सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी बस्ती 2. रामकुमारी पुत्री गौरीलाल पत्नी राजू निवासी साकिन नगर बाजार तहसील व जिला बस्ती 3. हरिशंकर पुत्र गौरीलाल साकिन नगर खास नगर बाजार तप्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती 4. शिवराम गुप्ता पुत्र मायाराम साकिन कटरा न्याय मार्ग पोस्ट गांधीनगर तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 05–05–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 05 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–92/2024
बबलू आदि
बनाम
लालता आदि
7. लालजी उम्र लगभग 55 साल 8. रामजी उम्र लगभग 50 साल 9. शिवदास उर्फ सलामत उम्र 35 साल 10. धर्मेन्द्र उम्र 32 साल पुत्रगण रामबचन 11. विन्दा देवी उम्र 80 साल विधवा रामबचन समस्त निवासीगण ग्राम अवस्थीपुर तप्पा गनेशपुर परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 19–05–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 19 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 27 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– /2025
क0 वाद सं0–T202517140118221
धारा 116 उ0प्र0रा0स0 2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हर्रया जिला बस्ती
श्रीमती नीतू सिंह
बनाम
मो0 क्यूम आदि
1. मो0 क्यूम 2. मो0 कलीम 3. मो0 सलीम पुत्रगण रसीद ग्राम खानकला तप्पा सिकन्दरपुर परगना अमोढ़ा तहसील हर्रया जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4. ग्राम पंचायत पूरेगंगाराम उर्फ पूरे जद्दू द्वारा प्रधान ग्राम पूरेगंगाराम तप्पा वेलवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रया जिला–बस्ती 5. उ0प्र0 सरकार
तारीख पेशी 15–05–2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 28 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान ग्राम न्यायालय हर्रया बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–323/2023
प्रहलाद आदि
बनाम
रामलौटन आदि
2. श्रीमती किरन उम्र लगभग 50 साल पत्नी रवीन्द्र कुमार साकिन चकोही तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रया जिला बस्ती 3. रामसागर उम्र लगभग 60 साल पुत्र रामदेव 4. भगोले उम्र लगभग 52 साल 5. सोमई उम्र लगभग 50 साल पुत्रगण पलई 6. किशोर उम्र लगभग 48 वर्ष 7. चैतू उम्र लगभग 51 साल पुत्रगण जगई 8. गणेश उम्र लगभग 50 साल 9. गोपाल उम्र लगभग 50 साल 10. श्रीमती उत्तमा देवी उम्र लगभग 45 साल पत्नी दुलारे साकिनान मौजा रमवापुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रया जिला बस्ती
–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 16–05–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 16 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

बेदखली सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रामचेत चौधरी पुत्र स्वर्गीय राम अधार ग्राम–पसड़ा पोस्ट–वानपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती का निवासी हूं। मेरे पांच पुत्र शिवशंकर उर्फ राजू, अनिल कुमार, विजय कुमार, गोविन्द और सूर्य नरायन उर्फ सूरज हैं। मैं और मेरी पत्नी श्रीमती वीरमती काफी वृद्ध हो चुके हैं। मेरी पत्नी की आंखों से दिखायी नहीं पड़ता और मैं चलने–फिरने में पूर्णतया असमर्थ हूं। मेरे सभी लड़कों की शादी हो चुकी है। सभी लड़के अपने–अपने पत्नियों, बच्चों के साथ रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरा और मेरी पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता। जब बेटे और बहुओं से वृद्धावस्था में सेवा के लिये कहा जाता है तो वे साफ इंकार कर देते हैं और गाली व धमकियां देते हैं। मेरे पुत्र और बहुओं ने हम पति, पत्नी का जीना मुश्किल कर दिया है। वे धमकी देते हैं कि आप लोगों की चल व अचल सम्पत्ति जबरदस्ती लिखवा लेंगे। इसे देखते हुये मैं और मेरी पत्नी अपने पांचों पुत्रों और बहुओं को अपने चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर रहा हूं। अपने किसी भी कृत्य के लिये मेरे पुत्र व बहुयें जिम्मेदार होंगें। अब हम पति, पत्नी का उनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रकाशन इसलिये करा रहा हूं कि वक्त जरूरत पर काम आवे।

इटवा में ग्राम प्रधान संगठन ने सौंपा ज्ञापन ग्राम पंचायतों का शोषण बंद करने की मांग

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। इटवा में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने मंगलवार को एक मासिक बैठक आयोजित की। बैठक के बाद संगठन ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मार्कंडेय पांडेय को मुख्यमंत्री के नाम पांच सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें विभिन्न मांगों के त्वरित समाधान की अपील की गई है।

यह मासिक बैठक मंगलवार शाम चार बजे ब्लॉक समागार में प्रधान संघ जिलाध्यक्ष डॉ. पवन मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ताकिब रिजवी ने कहा कि संगठन प्रधानों के हितों के लिए तत्पर है। ब्लॉक अध्यक्ष पारस नाथ यादव और जिला सचिव महताब आलम सहित कई अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

डॉ. पवन कुमार मिश्रा द्वारा सौंपे गए पांच सूत्रीय मांग पत्र में प्रमुख मांगें शामिल हैं। इनमें 26 मई 2026 तक पंचायत चुनाव न होने पर कार्यकाल बढ़ाने या प्रधानों को प्रशासक बनाने, मनरेगा निधि का बकाया भुगतान तत्काल करने, पंचायत चुनाव के करीब कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रधानों के साथ दुर्व्यवहार रोकने, ग्राम पंचायतों में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने और ग्राम पंचायतों का शोषण बंद करने की मांग की गई है।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष पारस यादव ने कहा कि ग्राम प्रधानों के हितों की लड़ाई हर स्तर तक लड़ी जाएगी। उन्होंने सभी प्रधानों से एकजुट रहने का आह्वान किया। बैठक और ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ताकिब रिजवी, जिला सचिव महताब आलम, शाहिदा खातून, राम नरेश यादव, मो. इसराईल खान, अरसद, रामानंद यादव, राम महेश यादव, प्रेम शंकर, विजय कुमार, मारुफ वंशु यादव सहित कई अन्य ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–157/2024
रामनाथ
बनाम
रामबेलास आदि
1. रामबेलास उम्र लगभग 50 साल पुत्र महादेव निवासी ग्राम छितहा तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रया जिला–बस्ती 2. ग्राम पंचायत कछिया जरिये प्रधान निवासी ग्राम कछिया तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम तहसील हर्रया जिला–बस्ती 3. राज्य सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी बस्ती
तारीख पेशी 21–05–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 21 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।
बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इश्तहार मजरिया अदालत–श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
उत्तराधिकार वाद सं0 71/2026
राधेश्याम सिंह–सायलान
1– राधेश्याम सिंह उम्र 52 वर्ष 2– आशुतोष सिंह उम्र 49 वर्ष 3– अजय कुमार सिंह उर्फ अजय सिंह उम्र 45 वर्ष 4– सन्तोष कुमार सिंह उम्र 43 वर्ष पुत्रगण स्वर्गीय श्री रामचन्द्र सिंह 5– श्रीमती निर्मला सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम पिपरा गौतम, तप्पा पिपरा, परगना नगर पूरब, तहसील बस्ती, जनपद बस्ती
तारीख पेशी 08–05–2026
दरख्वास्त मुसम्मा
वास्ते हुसूल सर्टीफिकेट वसूल कर्जा व विकालत हाय दरख्वास्त मुसम्मा मुतवफ्फा अपने बमूजिब एक्ट 7 सन 1889 ई0 वकंद
हरगाह मुसम्मा ने दरख्वास्त हुसूल सर्टीफिकेट गुजरानी है और तारीख माह सन ई0 वास्ते समाअत दरख्वास्त के मुकर्रर हुई है। लिहाजा यह इश्तिहार जारी किया जाता है कि किसी को निस्बत के उज्र हो या असालतन या वकालतन वक्त 10 बजे सुबह अदालत सिविल जज (सी0डि0) बस्ती बतारीख पेशी 08–05–2026 मुकर्रर हाजिर होकर उज्र अपना पेश करें। दरसूरत इनकजाय तारीख मजकूर के फिर उज्र किसी का सुना न जायेगा और हुक्म मुनासिब निस्बत दरख्वास्त मजकूर के सादिर होगा।
अलमरकूम माह सन 20 ई0।
द0 हाकिम

'दीपशिखर काव्यलोक' साझा काव्य–संकलन का प्रकाशन

संवाददाता–गोरखपुर। श्री दीप साहित्यिक सेवा संस्थान द्वारा कर्म भाव की संकल्पना से 43 वरिष्ठ एवं नवोदित रचनाकारों का साझा काव्य–संकलन 'दीपशिखर काव्यलोक' प्रकाशित किया गया। संस्थान के मुख्य ट्रस्टी दिनेश गोरखपुरी ने बताया कि इस संकलन का सम्पादन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अनन्तदन आचार्य एवं पत्रकारिता संस्थान के संस्थापक निदेशक प्रो रामदरश राय ने किया है। संकलन में आचार्य चन्द्रगुप्त प्रसाद वर्मा अकिंचन, राष्ट्रीय संरक्षक आचार्य नन्दलाल मणि त्रिपाठी, प्रो. रामदरश राय, दिनेश गोरखपुरी, मनोज, डॉ. माधवी मिश्रा, सुनील श्रीवास्तव सहित 43 रचनाकारों की अवधी, भोजपुरी एवं खड़ी बोली की रचनाएं सम्मिलित हैं।

अदालती नोटिस

न्यायालय सिविल जज (सीoडिo) सिद्धार्थनगर स्थान द्वारा निकाली गयी उद्घोषणा
प्रकीर्ण वाद संख्या 45/2026
1– अवधराजी उम्र करीब 69 वर्ष पत्नी स्व० गंगाराम 2–शिवपूजन उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र स्व० गंगाराम 3–उदयराज उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र स्व० गंगाराम 4–रामअचल उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व० गंगाराम 5–राममनोहर उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र स्व० गंगाराम निवासीगण ग्राम–पोखरभिटवा, तप्पा–बुढ़ढी, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर
–आवेदकगण
बनाम
इस्टेट
1– इस्टेट 2–रामराज उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र स्व० गंगाराम निवासीगण ग्राम–पोखरभिटवा, तप्पा–बुढ़ढी, परगना–बांसी पश्चिम, तहसील–इटवा, जिला–सिद्धार्थनगर
प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष
तारीख पेशी– 12.05.2026
प्राo पत्र अन्तर्गत दफा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
अपने पति/पत्नी मृतक गंगाराम को देय ऋण और प्रतिभूतियों को वसूल करने के लिये प्रमाण पत्र की अभिप्राप्ति के लिये सन 1886 ई0 के अधिनियम 7 के अधीन उत्तराधिकार का आवेदन के लिये।
चूंकि ने प्रमाण पत्र को अभिप्राप्ति के लिये आवेदन दिया है और सन 2026 के 05 के 12 दिवस आवेदन को सुनवाई के लिये नियत हुआ है। अतः यह उदघोषणा निकाली जाती है कि जिस किसी को उक्त आवेदन के सम्बन्ध में आपत्ति हो वह स्वयं या अभिवक्ता द्वारा ..10 बजे पूर्वान्ह न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) सिद्धार्थनगर में नियत दिनांक पर उप संजात होकर अपनी आपत्ति पेश करें। उक्त दिनांक के अवसान पर फिर किसी की आपत्ति न सुनी जायेगी और आवेदन के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित होगा।
2026 के 04 के 27 दिवस को दिनांकित।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)
मूलवाद संख्या 226/ 2024
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) स्थान–सिद्धार्थनगर जिला– सिद्धार्थनगर
नियाज अहमद
बनाम
हसरुन आदि
1. हसरुन वालिग पत्नी स्व0 मुख्तार अहमद 2. निसार अहमद वालिग 3. इरशाद अहमद वालिग पुत्रगण स्व0 मुख्तार अहमद समस्त निवासीगण ग्राम परसाखुर्द टोला भटपुरवा तप्पा घोसियारी परगना तहसील बांसी जिला सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 27–05–2026
प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध दावा मन्सूखी के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक **27–05–2026** को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्न किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिवक्ता प्लीडर द्वारा उप संजात हो सकते हैं। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो बात से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उप संजात के लिये जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिये नियत दिन है। इसलिये आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर ऊपर बतायी गयी तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख 27.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com